

इसे वेबसाईट [www.govtpressmp.nic.in](http://www.govtpressmp.nic.in) से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



# मध्यप्रदेश राजपत्र

## ( असाधारण )

### प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 204]

भोपाल, मंगलवार, दिनांक 20 मई 2014—वैशाख 30, शक 1936

खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग  
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल  
भोपाल, दिनांक 20 मई 2014

क्र. एफ-7-32-2013-उन्तीस-1.—राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 (2013 का संख्यांक 20) की धारा 10 के प्रावधान अनुसार इस आदेश में संलग्न परिशिष्ट "अ" की सूची की श्रेणियों को नाम के सम्मुख अंकित दिनांक से राज्य में प्राथमिकता परिवार में सम्मिलित किया गया है.

2. राज्य सरकार द्वारा अब यह निर्णय लिया गया है कि प्रदेश के पंजीकृत व्यावसायिक वाहन चालक/परिचालक को प्राथमिकता परिवार में सम्मिलित करते हुए राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम एवं राज्य की मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजना का लाभ इस आदेश के जारी होने के दिनांक से दिया जाए.

3. इन प्राथमिकता परिवारों में हितग्राही चयन की प्रक्रिया वही होगी जो राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर निर्धारित की जाए.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
बी. के. चन्देल, उपसचिव.

परिशिष्ट—“अ”

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 के अंतर्गत निम्नांकित श्रेणी के परिवारों को उनकी श्रेणी के सम्मुख अंकित तिथि से प्राथमिकता श्रेणी में सम्मिलित किया गया है:—

क्र. (1)	श्रेणी (2)	दिनांक (3)
1	समस्त बीपीएल परिवार	29-07-2013
2	मुख्यमंत्री मजदूर सुरक्षा योजनांतर्गत पंजीकृत भूमिहीन खेतिहर मजदूर.	
3	मध्यप्रदेश भवन तथा अन्य संनिर्माण कर्मकार मंडल के पंजीकृत श्रमिक.	
4	सामाजिक सुरक्षा पेंशन के पंजीकृत हितग्राही.	

(1)	(2)	(3)
5	साइकिल रिक्शा चालक कल्याण योजना में पंजीकृत.	29-07-2013
6	हाथ ठेला चालक कल्याण योजना में पंजीकृत.	
7	अनाथ आश्रम, निराश्रित/विकलांग छात्रावासों में निवासरत बच्चे.	
8	निःशुल्क संचालित वृद्धाश्रमों में निवासरत वृद्धजन.	
9	वनाधिकार प्राप्त पट्टाधारी.	23-08-2013
10	पंजीकृत घरेलू कामकाजी महिलाएँ.	
11	पंजीकृत फेरीवाले.	
12	रेलवे में पंजीकृत कुली.	23-09-2013
13	मंडियों में अनुज्ञप्तिधारी हम्माल एवं तुलावटी.	
14	बन्द पड़ी मिलों में पूर्व नियोजित श्रमिक.	
15	बीड़ी श्रमिक कल्याण निधि अधिनियम 1972 अंतर्गत परिचय-पत्र धारी बीड़ी श्रमिक.	
16	भूमिहीन कोटवार.	
17	कुटीर एवं ग्रामोद्योग विभाग अंतर्गत पंजीकृत बुनकर एवं शिल्पी.	
18	नगरीय निकायों में पंजीकृत केशशिल्पी.	
19	पंजीकृत बहुविकलांग एवं मन्दबुद्धि व्यक्ति.	
20	एचआईव्ही (एड्स) संक्रमित व्यक्ति.	
21	अनुसूचित जाति के परिवार*	03-10-2013
22	अनुसूचित जनजाति के परिवार*	
23	मत्स्य पालन करने वाले (मछुआ) सहकारी समितियों के अंतर्गत पंजीकृत परिवार/सदस्य	01-02-2014
24	प्राकृतिक आपदा से प्रभावित परिवार	28-02-2014

\*आयकर दाता एवं शासकीय सेवा में प्रथम, द्वितीय, तृतीय श्रेणी के अधिकारियों/कर्मचारियों के परिवारों को छोड़कर.